



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272509
CG-DL-E-13052026-272509

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2317]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2317]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2409(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कलेक्ट्रेट, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखंड (NH7) के कि.मी 384.400 कि.मी. से 468.000 कि.मी. उत्तराखंड राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। जो कि इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के कि.मी. 384.400 (कमेडा) से कि.मी. 468.000 (हेलंग) तक भूमि के संबंध में, नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण (चौड़ाई /चार लेन, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के कि.मी. 384.400 (कमेड़ा) से कि.मी. 468.000 (हेलंग) के मध्य भूखलन, भूधसांव क्षेत्र का उपचार कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7	
1	अपर जिलाधिकारी, चमोली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 के कि.मी. 384.4 से कि.मी. 468 तक	उत्तराखंड	चमोली	जोशीमठ	1	गुलाबकोटी
						2	पाखी
					चमोली	1	सोनला
						2	मैठाणा
						3	पुरसाड़ी
						4	नन्दप्रयाग
						5	क्षेत्रपाल
						6	भुमला लगा खैनुरी
					कर्णप्रयाग	1	वरसाली
						2	उमट्टा
						3	निवाडी
						4	उमरकोट उर्फ बैडाणु
						5	हडाकोटी
						6	कमेड़ा
						7	शैल
					8	धारी लगा पनाई	
					9	कर्णप्रयाग	

[फा. सं. : NHIDCL/PMU-CHAMOLI/NH-07/THDCIL/DPR/F-33/LA/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2409(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto to act as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 384.400 to Km. 468.000 of Collectorate, Gopeshwar, Chamoli, Uttarakhand (NH7) in the State of UTTARAKHAND for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management, and operation in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Acquisition of land for Construction of mitigation measures of landslide, sinking zone, and road construction work between Km 384.400 (Kameda) and Km 468.000 (Helang) on NH-07 in the state of Uttarakhand

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	ADM, Chamoli	NH7 KM 384.4 TO KM 468	UTTARAKHAND	CHAMOLI	Joshimath	1	Gulabkoti
						2	Pakhi
					Chamoli	1	Sonla
						2	Maithana
						3	Pursadi
						4	Nandprayag
						5	Chhetrapal
						6	Bhumla lagga Khainuri
					Karnaprayag	1	Barsali
						2	Umatta
						3	Niwari
						4	Umrakot Urf Baidanu
						5	Hadakoti
						6	Kameda
						7	Shail
8	Dhari Lagga Panai						
9	Karanprayag						

[F. No. NHIDCL/PMU-CHAMOLI/NH-07/THDCIL/DPR/F-33/LA/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director